# पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

संख्या- 145/2024 दिनांक- 04.05.2024

## प्रेस विज्ञप्ति

## साइबर क्राइम थाना परिक्षेत्र आजमगढ़

**सोशल मीडिया पर लोगो से दोस्ती कर महंगे गिफ्ट (Iphone, Diamond Neckles व् करोडो रुपये देने के बहाने साइबर ठगी करने वाले गैंग के सदस्यों से साइबर क्राइम थाना आजमगढ़ ने पीड़ित के बैंक खाते में 12 लाख रूपये कराया वापस**

दिनांक 14-05-2023 को वादिनी ने प्रार्थना पत्र दिया की instagram पर lawrence_micheal022 ने दोस्ती कर मेरे शादी में महंगे उपहार देने के नाम पर मुझसे करीब 32 लाख रूपये की साइबर धोखाधड़ी की गयी हैं। जिसकी सूचना के आधार पर मु0अ0सं0 119/2023 धारा 419,420 भादवि 66 डी आई0टी0एक्ट थाना सहतवार पंजीकृत किया गया। उक्त अपराध के सफल अनवारण एंव अभियुक्तो की गिरफ्तारी एंव ठगी हुए पैसो को वापस दिलाने हेतु विशेष पुलिस महानिदेशक, साइबर क्राइम मुख्यालय लखनऊ द्वारा 20.07.2023 को साइबर क्राइम थाना आजमगढ़ को स्थानांतरित किया गया था.

मुकदमे का त्वरित निस्तारण, अभियुक्तो की गिरफ्तारी एंव फ्रॉड हुए पैसे की रिकवरी हेतु श्री अनुराग आर्य, पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ के निर्देशानुसार एंव श्री विवेक पाण्डेय, अपर पुलिस अधीक्षक अपराध के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री विमल प्रकाश राय, साइबर क्राइम थाना आजमगढ़ के नेतृतव में उक्त अभियोग की विवेचना से 03 नाईजिरियन शातिर साइबर अपराधी को दिल्ली से गिरफ्तार कर उसके 07 अन्य सहयोगियों के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायलय सी.जी.ऍम. के समक्ष प्रस्तुत किया गया है तथा **अपराधियों के बैंक खाते से वादिनी के बैंक खाते में फ्रॉड हुए 12 लाख रूपये को जाँच के बाद साइबर क्राइम थाना आजमगढ़ द्वारा वापस कराया गया है**। वादिनी द्वारा साइबर क्राइम थाना आज़मगढ़ द्वारा किये गए कार्य की सराहना की गई एवं ठगी हुए 12 लाख रूपये वापस मिलने पर आभार जताया।

**साइबर क्राइम थाना टीम**

1- प्रभारी निरीक्षक श्री विमल प्रकाश राय साइबर क्राइम थाना परिक्षेत्र आजमगढ़।
2- मु०आ0 मनीष सिंह साइबर क्राइम थाना परिक्षेत्र आजमगढ़।

## थाना – महराजगंज

## साइबर फ्राड के 45,000/- रूपये वापस कराया गया

**पूर्व की घटनाः-** दिनांक 30.04.2024 को आवेदक प्रदीप सेठ पुत्र दीनदयाल सा0 जामीलपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ के द्वारा NCRP Helpline 1930 पर काल कर शिकायत दर्ज कराया गया कि आवेदक के खाते से 45000/- रूपये दिनांक 15.11.2023 को गलत खाता में चला गया था। जिसकी शिकायत संख्या 23103240033232 पंजीकृत हुआ जो पोर्टल के माध्य से उक्त धनराशि दिनांक 02.04.2024 को होल्ड हो गया था। आवेदक से सम्पर्क करने पर बताया गया कि साहब मैं भारतीय रेलवे में टेक्निशियन के पद पर बराबंकी में नौकरी करता हूँ। आवेदक द्वारा कल दिनांक 03.05.2024 को थाना स्थानीय के साईबर डेस्क पर होल्ड पैसा वापस कराने के सम्बन्ध में एक प्रार्थना पत्र दिया जिसपर प्र0नि0 श्री राजीव कुमार मिश्रा के निर्देशन में मुझ क0आ0 रईस अंसारी द्वारा तुरन्त कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित बैंक से सम्पर्क कर आवेदक के खाते से कटा हुआ कुल 45000/- रूपये वापस करा दिया गया।

➡ दिनांक 03.05.2024 को कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए रईस अंसारी मय साईबर टीम थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा आवेदक के खाते में कुल 45000/- रूपये वापस कराया गया।

**पुलिस टीमः-**

1. प्र0नि0 राजीव कुमार मिश्रा थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़
2. कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए रईस अंसारी थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़

## थाना तरवां
## गैंगेस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार

**पूर्व की घटना का विवरण -**

दिनांक 19.06.2019 को वादी मुकदमा धर्मेन्द्र गुप्ता पुत्र दीपचन्द्र गुप्ता निवासी सरायभादी थाना तरवा आजमगढ के द्वारा अभियुक्तगण 1. सुनील यादव पुत्र शिवप्रसाद यादव निवासी सरायभादी थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 2. प्रिन्स यादव उर्फ गोलू पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी सरायभादी थाना तरवां आजमगढ़ 3. महेन्द्र यादव पुत्र झिग्गन यादव निवासी सरायभादी थाना तरवां जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध शिकायत की गयी कि खरिहानी बाजार से घर जाते समय पुरानी रंजीश को लेकर सरायभादी के पास जान मारने के नियत से गोली फायर कर देना गोली बगल से निकल जाना व जान से मारने की धमकी देने की लिखित सूचना दी गयी सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 66/19 धारा 307/506 भादवि विरूद्ध अभियुक्त गण उपरोक्त के पंजीकृत होने उपरान्त विवेचना उ0नि0 नन्दलाल यादव द्वारा विवेचना संपादित कर आरोप पत्र संख्या ए- 97 दिनांक 20.09.2019 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। जो विचाराधीन न्यायालय है।

➡ दिनांक 20.05.2022 को वादी मुकदमा श्री राधेश्याम यादव पुत्र रामाशंकर यादव निवासी सरायभादी थाना तरवा जनपद आजमगढ़ के द्वारा विरूद्ध अभियुक्त सुनील यादव के सूचना दी गयी की न्यायालय मे चल रहे गवाही देने से रोकने व गाली गुप्ता व धमकी देने के आशय का लिखित सूचना दी गयी जिसके आधार पर थाना हाजा पर मु0अ0स0 115/2022 धारा 504/506/507 भादवि विरूद्ध अभियुक्त सुनील यादव पुत्र शिवप्रसाद यादव निवासी सरायभादी थाना तरवां जनपद आजमगढ़ ( टाप टेन अपराधी) के पंजीकृत होने उपरान्त विवेचना उ0नि0 कैलाश सिंह यादव द्वारा संपादित कर आरोप पत्र संख्या ए- 163 दिनांक 24.07.2022 को न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है जो विचाराधीन न्यायालय है। अभियुक्तगण उपरोक्त के गैंग का जनता मे काफी भय व आंतक व्याप्त है अभियुक्त गण का स्वत्रन्त्र रहना जनहित में उचित नही है। अभियुक्तगण उपरोक्त के आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी नियन्त्रण स्थापित करने के उद्देश्य से गैंग चार्ट तैयार कर प्रेषित किया गया था।

➡श्रीमान जिलाधिकारी महोदय आजमगढ द्वारा उपरोक्त नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध गैंग चार्ट पर दिनांक 12.01.2024 को अनुमोदित किया गया था।

➡जिसके क्रम में दिनांक 17.01.2024 को वादी मुकदमा तत्कालीन थानाध्यक्ष रामप्रसाद बिन्द द्वारा थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 21/2024 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट बनाम 1. सुनील यादव पुत्र शिवप्रसाद यादव निवासी सरायभादी थाना तरवां जनपद आजमगढ़ 2. प्रिन्स यादव उर्फ गोलू पुत्र राजेन्द्र यादव निवासी सरायभादी थाना तरवां आजमगढ़ 3. महेन्द्र यादव पुत्र झिग्गन यादव निवासी सरायभादी थाना तरवां जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया है।

**गिरफ्तारी का विवरण –**

आज दिनांक 04.5.2024 को उ0नि0 रमेश चन्द्र यादव मय हमराहियान कर्म0गण के क्षेत्र मे मामूर थे कि मुखविर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त महेन्द्र यादव पुत्र झिग्गन यादव निवासी सरायभादी थाना तरवां जनपद आजमगढ़ को खरिहानी तिराहा दुर्गा मंदिर के पास से समय करीब-5.15 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया अग्रिम कार्यवाही किया जा रहा है।

**पंजीकृत अभियोग –**

1. मु0अ0सं0- 21/24 धारा 3(1) गैगेस्टर एक्ट गैगेस्टर एक्ट थाना तरवां जनपद आजमगढ़।

**आपराधिक इतिहास –**

1.मु0अ0स0 66/19 धारा 307/506 भादवि, थाना तरवां जनपद आजमगढ़।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1-महेन्द्र यादव पुत्र झिग्गन यादव निवासी सरायभादी थाना तरवां जनपद आजमगढ़

**गिरफ्तारी करने वाली टीम**

1. उ0नि0 रमेश चन्द्र यादव थाना तरवा, जनपद-आजमगढ़।
2. हे0का0 रविन्द्र यादव थाना तरवां जनपद आजमगढ़
3 . हे0का0 रमेश यादव थाना तरवां जनपद आजमगढ़